ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, वर्ष 2025–26 के लिए प्रविष्टियां

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक सहकारी सोसाइटी को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय **''ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार''** की स्थापना की गई है, जिसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

1. निर्णायक मण्डल (जूरी) की अनुशंसा पर शासन द्वारा अंतिम रूप से घोषित एक व्यक्ति अथवा एक सहकारी सोसाइटी को ''ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार'' राशि रूपये 2,00,000/– (अक्षरी दो लाख रूपये मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त वाहिका, प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।
2. पुरस्कार के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती है :–

(अ) व्यक्ति के लिए:–

1. लगातार पांच वर्षों तक सहकारिता के विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान किया हो।
2. किसी भी सहकारी सोसाइटी का व्यतिक्रमी सदस्य न हो।
3. व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य होना अनिवार्य है।
4. संबंधित व्यक्ति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 19 ए/क एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 44 के तहत निरर्हित न हो।
5. महिला, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
6. संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही न की गई हो।

टीप:– उपरोक्त बिन्दुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(ब) सहकारी सोसाइटीके लिए :–

1. सहकारी सोसाइटीजिसने 03 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया हो तथा सोसाइटी संचित हानि में न हो।
2. सहकारी सोसाइटी किसी वित्तदायी संस्था या राज्य शासन की व्यतिक्रमी न हो।
3. सहकारी सोसाइटीका वित्तीय अभिलेख तातारीख पूर्ण हो तथा अंकेक्षण अद्यतन पूर्ण हो।
4. अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया हो।
3. सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम/उपविधियों में वर्णित प्रावधान के अनुसार आमसभा एवं उसकी अन्य समितियों की नियमित बैठकें करती हो एवं कार्यवाही विवरण का परिचालन करती हो।
4. वह सहकारी सोसाइटीजो अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।
7. प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत् निर्वाचित बोर्ड कार्यरत हो तथा सोसाइटी का प्रबंधन उत्कृष्ट हो।

8. वह सहकारी सोसाइटी जो अपने सदस्यों को लाभांश वितरण करती हो, उसे पुरस्कार के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।
9. सहकारी सोसाइटी में व्याप्त गबन, धोखाधड़ी के मामले में सोसाइटी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाती हो।

टीपः– उपरोक्त बिन्दुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1. पुरस्कार के नियम की प्रति एवं प्रविष्टियों के लिए निर्धारित प्रारूप कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, तृतीय एवं द्वितीय तल, ब्लॉक–बी. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर एवं सहकारिता विभाग के संभागीय/जिला कार्यालयों में तथा विभाग की वेबसाईट https://coop.cg.gov.in में भी उपलब्ध है।
2. पुरस्कार वर्ष 2025–26 के लिए प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में मय संलग्नक संबंधित संभागीय कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 12/10/2026 तक कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर में प्रस्तुत किया जाये। प्रविष्टि प्रेषित करते समय विषय में **''ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र''** स्पष्ट रूप से लिखा हो।

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रविष्टियों एवं संभाग स्तरीय विभागीय कार्यालय की अनुशंसा तथा बिन्दुवार टीप के अभाव में प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Digitally signed by
SAVITRI BHAGAT
Date: 28-09-2026
11:51:25

अपर आयुक्त
सहकारिता, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–एक

"ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार" हेतु व्यक्ति के लिए प्रविष्टि का निर्धारित प्रारूप

1. व्यक्ति का नाम

2. सहकारी सोसाइटी का नाम जहां का सदस्य है, सदस्यता क्रमांक, धारित अंशपूंजी

3. व्यक्ति का विस्तृत विवरण, पता, दूरभाष सहित

4. सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के हित में किये गये उत्कृष्ट कार्य का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)

5. महिला, कमजोर वर्ग, अनु.जाति एवं अनु.जनजाति वर्ग के हित में किये गये उत्कृष्ट कार्य का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)

6. सहकारिता के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)

7. सहकारिता विकास हेतु किये गये अन्य कार्यों का विवरण

8. व्यक्ति के व्यतिक्रमी एवं निरर्हता धारण करने संबंधी जानकारी का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)

 (क) आवेदक किसी सोसाइटी या वित्तदायी बैंक का व्यतिक्रमी है ? हाँ/नहीं

 (ख) यदि हाँ तो विवरण देवें।

 (ग) क्या व्यक्ति सहकारी अधिनियम की धारा 19(क) एवं नियम 44 के प्रावधानों में निरर्हता धारण करता है (प्रमाण संलग्न करें)

 (घ) यदि हाँ तो विवरण देवें।

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती (व्यक्ति का नाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर पूर्ण सत्य है।

आवेदक/प्रस्तावक का हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरभाष (मो.नं.) :

"ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार" हेतु सहकारी संस्थाओं के लिए प्रविष्टि का निर्धारित प्रारूप

1. सहकारी सोसाइटी का नाम व पता
2. सहकारी सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक व दिनांक
3. सहकारी सोसाइटी द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय एवं क्रियाकलाप की जानकारी
4. पिछले 03 वर्षों में सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्य हेतु किये गये सदस्यों के कल्याण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी (प्रमाण संलग्न करें)
5. महिला, कमजोर वर्ग, अनु. जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित विशेष कार्य की जानकारी (प्रमाण संलग्न करें)
6. सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के लिए किये गये अन्य विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
7. सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये प्रक्रिया, उत्पादन एवं विपणन कार्यों का विवरण

8. सहकारी अधिनियम/नियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वार्षिक आमसभा आयोजन का दिनांक आमसभा में प्रस्ताव ठहराव की संख्या आमसभा की कार्यवाही विवरण के परिचालन का पत्र क्रमांक/दिनांक/संचालक मण्डल/बोर्ड एवं उसकी उप समिति की बैठकों की जानकारी तथा कार्यवाही विवरण के परिचालन की स्थिति (प्रमाण संलग्न करें)

संचालक मण्डल की स्थिति (निर्वाचन/प्राधिकृत) –
संचालक मण्डल के निर्वाचन का दिनांक –
उपविधि अनुसार संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या –
कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की संख्या –

आमसभा की जानकारी		
आमसभा का दिनांक	प्रस्ताव ठहराव की संख्या	कार्यवाही विवरण जारी करने का पत्र क्र./दिनांक

बोर्ड के बैठक की जानकारी		
बैठक का दिनांक	प्रस्ताव ठहराव की संख्या	कार्यवाही विवरण जारी करने का पत्र क्र./दिनांक

उप समिति के बैठक की जानकारी (उप समितिवार जानकारी दी जावे)		
उप समिति का नाम –		
उप समिति बैठक का दिनांक	प्रस्ताव ठहराव की संख्या	कार्यवाही विवरण जारी करने का पत्र क्र./दिनांक

9. सोसाइटी में व्याप्त गबन, धोखाधड़ी का विवरण एवं बोर्ड/उप– समितियों की बैठकों का विवरण बोर्ड की बैठक दिनांक/प्रस्ताव /कार्यवाही विवरण परिचालन का पत्रक/दिनांक सोसाइटी द्वारा की गई कार्यवाही (प्रमाण संलग्न करें)

10. परिमाणात्मक विस्तृत विवरण

	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26	
	संख्या	अंशपूंजी	संख्या	अंशपूंजी	संख्या	अंशपूंजी
(क) राज्य शासन						
(ख) व्यक्तिगत सदस्य						
(ग) अन्य सहकारी संस्थाएं						

उपरोक्त में से

	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26	
	संख्या	अंशपूंजी	संख्या	अंशपूंजी	संख्या	अंशपूंजी
(i) सक्रिय सदस्य						
(ii) महिला सदस्य						
(iii) अनु.जाति वर्ग के सदस्य						
(iv) अनु.ज.जा.वर्ग के सदस्य						
(v) अन्य						

1. उपार्जन की जानकारी

(क) कृषि उत्पाद का उपार्जन

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ख) गैर कृषि उत्पाद

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

2. कुल विक्रय की विस्तृत जानकारी

(क) कृषि उत्पाद

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ख) कृषि आदान

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ग) उपभोक्ता वस्तु

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(घ) मत्स्य आखेट

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ङ) मुर्गी पालन

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(च) कपड़े इत्यादि

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(छ) दुग्ध एवं पशुपालन

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ज) फल एवं सब्जियां

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(झ) अन्य

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

कुल विक्रय (मूल्य)

3. (क) ऋण वितरण

(i) अल्पकालीन ऋण

(ii) मध्यम कालीन ऋण

(iii) दीर्घ कालीन ऋण

(iv) अन्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ख) ऋण वसूली (प्रतिशत)

(i) अल्पकालीन ऋण

(ii) मध्यम कालीन ऋण

(iii) दीर्घ कालीन ऋण

(iv) अन्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ग) कालातीत ऋण (प्रतिशत)

(i) अल्पकालीन ऋण

(ii) मध्यम कालीन ऋण

(iii) दीर्घ कालीन ऋण

(iv) अन्य

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(घ) कालातीत ऋण के विरूध्द धारा 84 एवं सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम की धारा 26 के तहत दायर प्रकरण का प्रतिशत

4. प्रक्रिया इकाई का विस्तृत विवरण

(क) उत्पादित मात्रा

(ख) क्षमता

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

5. लाभ व हानि का विवरण

(क) विक्रय से आय

(ख) अन्य आय

(ग) कुल आय

(घ) कुल खर्च

(ड.) शुध्द लाभ (ग–घ)

(च) संचित लाभ/हानि

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

6. वित्तीय पत्रक का विवरण

(क) अंश पूंजी

(i) सदस्यों से

(ii) राज्य शासन से

(iii) अन्य से

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ख) रिजर्व

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(ग) ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

(घ) अमानतें

(i) सदस्यों से

(ii) अन्यों से

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

7. कार्यशील पूंजी

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

8. शुध्द पूंजी

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

9. शासकीय अंशपूंजी की वापसी

(क) राशि देय

(ख) राशि वापस की गई

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

10. शासकीय ऋण राशि की वापसी

(क) शासन से प्राप्त राशि

(ख) वापस की गई राशि

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

11. लाभांश वितरण का प्रतिशत एवं राशि

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

12. अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी प्रस्तुति की स्थिति

विवरण	सक्षम अधिकारी (जिसे विवरणी प्रस्तुत की गई)	प्रस्तुति का दिनांक

गुणात्मक खण्ड

1. संचालक मण्डल की स्थिति (निर्वाचन / नामांकित)

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

2. अंकेक्षण वर्गीकरण

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

3. मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण
 (i) कुल कर्मचारी
 (ii) कुल वेतन एवं मजदूरी
 (iii) प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
 (iv) प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

4. कल्याणकारी कार्यों / गतिविधियों में किये गये व्यय की राशि का विवरण

वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26

5. यदि पूर्व में कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो तो विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
6. क्या विगत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों का समुचित निराकरण कर दिया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. सोसाइटी किसी वित्तदायी संस्था या राज्य शासन का व्यतिक्रमी तो नहीं है ? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. सोसाइटी का वित्तीय अभिलेख तातारीख पूर्ण है? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

घोषणा पत्र

मैं श्री / श्रीमती (नाम एवं पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर पूर्ण सत्य है।

अध्यक्ष / प्रबंधक / प्रस्तावक का हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरभाष (मो.नं.) :

टीप :– **उपरोक्त वर्णित वर्षों का वित्तीय पत्रक, लाभ एवं हानि खाता, व्यापार खाता एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा जहां प्रमाण–पत्र आवश्यक है, वहां प्रमाण–पत्र संलग्न करें।**